



सं/no.:1/8/

दिनांक/ Date: 19 /09/2026

ई-नीलामी सूचना

छावनी परिशद कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा अल्मोड़ा छावनी में सूखे खड़े वृक्षों के निस्तारण हेतु सार्वजनिक ई-नीलामी वेबसाइट <https://eauction.gov.in> द्वारा दिनांक 09 अक्टूबर, 2026 को 11.00 बजे से 16.00 बजे तक की जायेगी। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 26 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11.00 बजे छावनी परिशद कार्यालय अल्मोड़ा उपस्थित होकर छावनी परिशद के प्रतिनिधि के साथ मौके पर वृक्ष देख सकते हैं। ई-नीलामी सम्बन्धित किसी जानकारी हेतु इस कार्यालय में किसी कार्यदिवस में उपस्थित होकर अथवा ई-मेल आईडी0 ceoalmora-stats@nic.in द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं।

क्र०सं०	स्थल का नाम	प्रजातिवार विवरण	वृक्षों का व्यासवार विवरण	वृक्षों की संख्या
01	छावनी परिशद अल्मोड़ा	चीड़ सूखे खड़ा	30-40	03
02	छावनी परिशद अल्मोड़ा	चीड़ सूखे खड़ा	40-50	09
03	छावनी परिशद अल्मोड़ा	चीड़ सूखे खड़ा	50-60	07
04	छावनी परिशद अल्मोड़ा	चीड़ सूखे खड़ा	60-70	01
योग				20

ई-नीलामी सम्बन्धित नियम एवं भातें अनुलग्नक - 1 में उल्लेखित है।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी परिशद अल्मोड़ा
(तनु जाट)

नियम एवं शर्तें / TERMS AND CONDITIONS

1	नीलामी फॉर्म हेतु रु. 0 एवं धरोहर राशि (EMD) की लागत रु. 10,000/- (दस हजार) केवल एफ़डीआर (FDR) के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्मोड़ा छावनी (Chief Executive Officer, Almora Cantt.) के पक्ष में स्वीकार की जाएगी।
2	ई-नीलामी के पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को 10,000/- (दस हजार) रुपये की धरोहर राशि एफ़डीआर के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्मोड़ा छावनी (Chief Executive Officer, Almora Cantt.) के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा उसे नीलामी में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
3	एफ़डीआर की स्कैन प्रति नीलामी दस्तावेज के साथ अपलोड करना है तथा एफ़डीआर की मूल प्रति नीलामी की तिथि के पूर्व तक इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
4	वृक्षों को दिखाने की तिथि समय व स्थान दिनोंक 26 सितम्बर, 2026 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय छावनी परिषद अल्मोड़ा में निर्धारित हुआ है। इच्छुक ठेकेदार निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होकर छावनी परिषद अल्मोड़ा छावनी के प्रतिनिधि के साथ जाकर उक्त वृक्षों को देख सकते हैं।
5	नीलामी में भाग लेने वाले के बारे में यह कार्यालय मान लेगा कि निविदा डालने वाले व्यक्ति ने वृक्षों की स्थिति, अवस्था एवं वर्णित संख्या को देखकर स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। निविदा डालने वाले व्यक्ति को पूर्ण अनुशासन बनानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
6	कार्यालय यह मानता है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति ई-नीलामी एवं उससे सम्बंधित सभी नियम तथा उपयोग के तरीके से भलिभाँति परिचित है एवं वह यह भलिभाँति जानता है कि ई-नीलामी को संबन्धित वेबसाइट पर किस तरह अपलोड किया जाता है। कार्यालय यह भी मानकर चलता है कि प्रत्येक इच्छुक व्यक्ति ने संबन्धित वेबसाइट पर ई-नीलामी से सम्बंधित सभी नियम एवं दिशा-निर्देशों को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इस ई-नीलामी से सम्बंधित सभी सूचनाएं आदि वेबसाइट www.eauction.gov.in पर दर्शायी जायेगी।
7	यदि कोई इच्छुक व्यक्ति किसी भी तकनीकी कारण से अपनी दस्तावेज़ तय समय तक संबन्धित वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पाता तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी भी तकनीकी खराबी, देरी आदि के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
8	बोली की समाप्ति के बाद सर्वोच्च बोलीदाता की बोली इस कार्यालय द्वारा स्वीकार होने पर उसके द्वारा ऑफर की गयी बोली का 50% प्रतिशत धनराशि कार्यालय द्वारा लिखित रूप में दिये गये तय समय तक तय तरीके से जमा करनी होगी। जिसके उपरान्त उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी को भेजा जायेगा।
9	सक्षम अधिकारी द्वारा सर्वोच्च बोली मंजूर होने के बाद शुद्ध बोली का 20% प्रतिशत अग्रिम जमानत राशि, सिक्कोरिटी तथा सभी करों सहित जैसे जी०एस०टी० एवं अन्य देय कर इस कार्यालय में तथा निविदा की शेष धनराशि इस कार्यालय द्वारा निर्धारित समय में जमा करनी होगी।
10	मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावनी निविदाओं को अन्तिम रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने हेतु सक्षम अधिकारी है।
11	ई-नीलामी में लिए गए पेड़ों को निर्धारित अवधि के अन्दर काटना/उठाना होगा। यदि निर्धारित समय के अन्दर ठेकेदार कार्य समाप्त नहीं कर पाता है और इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो बचे हुए पेड़ों पर मुख्य अधिशासी अधिकारी अल्मोड़ा छावनी का अधिकार हो जायेगा और नीलामी पुनः की जायेगी अथवा 100/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशानुसार अतिरिक्त हर्जाना कार्यालय में जमा करके समय बढ़ाया जा सकता है।
12	इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले रहा है, निविदा ऑफर स्वीकृत होने के बाद केवल उसी के नाम पर अधिकृत पत्र जारी किया जाएगा तथा केवल उसी व्यक्ति को पेड़ कटवाने का अधिकार होगा। उस व्यक्ति को इस ऑफर को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने/सबलेट करने/दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है यदि इस नीलामी के समय या उसके बाद पाया गया कि बोली बोलने वाले ने किसी के छद्म नाम/फर्म में नीलामी ली है या उसे किसी अन्य दूसरे व्यक्ति फर्म को सबलेट कर दिया गया है या पेटी कान्ट्रेक्ट दे दिया है तो कान्ट्रेक्ट को निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसकी बोली की राशि/धरोहर राशि भी जब्त कर ली जाएगी एवं नीलामी पुनः की जाएगी।
13	इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय द्वारा समकक्ष कार्य हेतु ब्लैकलिस्टेड किए गए व्यक्ति आदि इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं हैं। झूठी सूचना के आधार पर प्रतिभाग किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
14	ठेकेदार/व्यक्ति/फर्म पेड़ों को काटते समय किसी प्रकार की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा। जैसे मकानों का टूटना, बिजली के तारों का टूटना। यदि किसी प्रकार का भी नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे अपने खर्चे पर बनवाकर देगा, अन्यथा उसकी अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
15	ठेकेदार/व्यक्ति/फर्म कोई भी पेड़ सरकारी अवकाश व रविवार को नहीं काटेगा और न ही कोई लकड़ी छावनी/सम्बन्धित यूनिट से बाहर ही ले जाएगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो लकड़ी तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी।
16	पेड़ काटने की शुरुआत से पहले इस कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करेगा कि किस समय पेड़ काटने जा रहे हैं तथा इस कार्यालय/यूनिट के प्रतिनिधि के सामने ही पेड़ काटे जायेंगे।
17	पेड़ों को काटने के बाद ठेकेदार को आवश्यकतानुसार जमीन से जड़े निकालकर जमीन बराबर करनी होगी तथा ऐसा न करने पर उसकी जमानत राशि वापस नहीं होगी।
18	पेड़ों की कटान सुबह 09:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक ही कर सकते हैं तथा लकड़ी की उठान सांय 06:00 बजे के बाद यूनिट सीमा के बाहर नहीं होगा। इसके बाद यदि कोई ठेकेदार लकड़ी का कटान करता है तो उसका ऑर्डर निरस्त कर दिया

	जाएगा।
19	यदि पेड़ों को काटने के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ने नीलामी में उल्लिखित पेड़ों के अतिरिक्त कोई अन्य पेड़ काट लिया है या उनको नुकसान पहुँचाया है तो नीलामी निरस्त करके उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उससे हरजाना वसूलने के साथ साथ पुलिस कार्यवाही भी की जाएगी। इस स्थिति में उनको इस कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयों से ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
20	पेड़ों की स्थिति जैसी है, जहाँ, के आधार पर है इसलिए पेड़ों की नीलामी ऑफर से पहले सम्बन्धित ठेकेदार को पेड़ देखने के समय स्वयं इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि वह पेड़ों की संख्या, प्रकार तथा नाप-स्थिति क्या है। इस बारे में नीलामी ऑफर के बाद किसी भी तरह का विवाद या दावा मान्य नहीं होगा। यदि नीलामी ऑफर के बाद उसकी स्वीकृति उच्च अधिकारियों से आने में कुछ समय लग जाता है तो इस अवधि में यदि नीलामी के पेड़ों में से कुछ पेड़ स्थल पर गिर जाते हैं तो इस विषय में ठेकेदार से कोई भी दावा विवाद या पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
21	पेड़ों को काटते समय या उठाने समय किसी भी व्यक्ति विशेष/मजदूर के साथ किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना घटित होने का उत्तरदायित्व इस कार्यालय एवं स्थानीय सैन्य अथॉरिटी का नहीं होगा।
22	पेड़ों को काटने के पश्चात उठवाने के समय या उसके बाद यदि ठेकेदार से किसी व्यक्ति का कानूनी/सिविल या फौजदारी का विवाद होता है तो उस विवाद में न तो यह कार्यालय पार्टी बनेगा और न उसके प्रति जिम्मेदार होगा।
23	सम्बन्धित रक्षा संस्थान में कार्य करते हुए ठेकेदार पर उस सम्बन्धित यूनिट के सभी नियम लागू होंगे।
24	यदि पेड़ों की कटाई अत्यधिक/निषिद्ध/गोपनीय/रक्षा यूनिट के अन्तर्गत है तो यूनिट के नियमानुसार यदि ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत मजदूरों का पुलिस वेरिफिकेशन/सिक्क्योरिटी पास अनिवार्य है तो यह कार्य करवाना ठेकेदार की जिम्मेदारी है।
25	ठेकेदार को वन विभाग/पुलिस विभाग आदि से सम्बन्धित औपचारिकताएँ जैसे निकासी/परमिट आदि स्वयं ही लेना पड़ेगा जो कि इस कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं है।
26	यदि ठेकेदार इस नीलामी में भाग ले रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा उससे सहमत है तथा इस विषय में कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
27	उच्चतम बोली का आयकर, बिक्री कर या अन्य किसी भी विभाग के द्वारा निर्धारित कोई भी कर इस कार्यालय में जमा करना होगा।
28	सभी कानूनी विवादों का क्षेत्र अल्मोड़ा न्यायालय होगा।
29	सभी दस्तावेज/प्रपत्र/प्रमाण पत्र स्व हस्ताक्षरित और साफ-साफ सुपाद्य हों।
30	उपरोक्त शर्तों को किसी भी प्रकार की अवहेलना करने पर अधोहस्ताक्षरी का अधिकार होगा कि वह निविदा निरस्त कर दें तथा ठेकेदार द्वारा जमा समस्त बयाना राशि जब्त कर ले।
31	निविदा/टेन्डर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावनी परिषद अल्मोड़ा का निर्णय ही अन्तिम होगा और कानूनी तौर पर मान्य होगा।
32	किसी एक या सभी निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास निहित होगा।
33	उक्त वर्णित निविदा के विवरण एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावनी परिषद अल्मोड़ा के पास सुरक्षित रहेगा।


 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 छावनी परिषद अल्मोड़ा
 (तनु जाट)

प्रतिलिपि:-

- कार्यालय सूचना पट्ट
- छावनी परिषद कार्यालय, देहरादून / क्लेमेंट टाउन / रुड़की / लैंसडाउन / चकराता / लेंडोर / रानीखेत / अल्मोड़ा / नैनीताल : कृपया सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु।
- वन संरक्षक, कुमाऊं, वृत्त नैनीताल : सूचनार्थ प्रेषित।

4. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा : सूचनार्थ प्रेषित ।

अनुलग्नक - II
Annexure - II

ऑनलाइन बोली लगाने हेतु दस्तावेजों की सूची।
LIST OF DOCUMENT REQUIRED FOR ONLINE BIDDING

- 1- पेन कार्ड की स्कैन कॉपी।
Scan copy of Pan Card.
- 2- जी0एस0टी0आई0एन0 की स्कैन कॉपी।
Scan copy of GSTIN.
- 3- बोलीकर्ता/फर्म का आधार कार्ड की स्कैन प्रति।
Scan copy of Adhar Card of Bidder/Firm.
- 4- बोलीदाता का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण-पत्र।
Valid residence certificate of the bidder issues by the competent authority.
- 5- धरोहर राशि के रूप में छावनी परिषद अल्मोड़ा के पक्ष में ₹0 10,000/- (दस हजार) की एफडी आर की स्कैन कॉपी। एफडीआर की मूल प्रति दिनांक 06 अक्टूबर, 2026 तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिये।
Scanned copy of FDR, for Rs 10,000/- (Ten thousand) in favor of Chief Executive Officer Cantonment Board Almora. The original copy of the FDR should reach the office by 06.10.2026
- 6- अनुलग्नक - III के अनुसार प्रारूप को यथावत पूर्ण एवं हस्ताक्षर करके स्कैन कॉपी।
Scanned copy of duly filled and signed E-Auction form as mentioned in Annexure - III
- 7- अनुलग्नक - I में दिये सभी नियम एवं शर्तों की स्व-हस्ताक्षर प्रति की स्कैन कॉपी।
Scan copy of self signed Term/Contract as given in Annexure - III.

नोट :- सभी मूल वैध प्रपत्र/दस्तावेज की स्कैन प्रति एवं यदि उनकी छाया प्रति हो तो उसकी स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी जो कि साफ-साफ सुपाद्य हो, अपलोड करें।

Note :- All original valid scan document need to be uploaded. Scanned copy and if the documents are Xeroxed, then the self attested must be legible clearly uploaded.


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी परिषद अल्मोड़ा
(तनु जाट)

ई – नीलाम प्रारूप / E – Auction Form**छावनी परिषद कार्यालय अल्मोड़ा ,
Cantonment Board Office, Almora**

नीलाम का नाम Name of Auction -	अल्मोड़ा छावनी में 20 सूखे खड़े खतरनाक वृक्षों का निस्तारण (Disposal of 20 dry standing dangerous trees situated in Almora Cantt).
धरोहर राशि - रुपया - भुगतान -प्रणाली/प्रकार केवल FDR द्वारा	Earnest Money - Rs. 10,000/-, Mode of Payment FDR
नीलाम प्रारूप का मूल्य - रुपया - भुगतान प्रणाली/प्रकार आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी मुख्य अधि ग्राही अधिकारी, कार्यालय छावनी परिषद अल्मोड़ा	Cost of Tender Form – Rs. 0.00 Mode of Payment - RTGS/NEFT/Chief Executive Officer, Office of the Cantonment Board Almora

फर्म/ठेकेदार सूचना

निविदा में प्रतिभाग करने वाले फर्म/ ठेकेदार निम्नलिखित सूचनाओं को भी प्रस्तुत करें .

The Bidder should also furnish the following information:-

1	आवेदक/ठेकेदार/फर्म का नाम Name of the Applicant/Contractor /Agency/ firm	
2	स्वामित्व/निदेशक/पार्टनर का नाम Name(s) of the proprietors/Director/Partners	
3	स्थायी पता, डाक पिन कोड के साथ Permanent of the address & mailing address with PIN Code etc. टेलीफोन/मोबाइल नम्बर Telephone/Mobile Number फैक्स नं० : Fax No. :	
4	ई - मेल पता E- mail Address	
5	पैन कार्ड संख्या Pan Card No.	
6	जी0एस0टी0आई0एन0 GSTIN Number	
7	धरोहर राशि जमा करने का विवरण Details Earnest Money Deposit केवल FDR, बैंक का नाम, दिनांक Only FDR, Bank Name. Date	

मैं/हम एतद इस माध्यम के द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं/हम छावनी परिषद कार्यालय अल्मोड़ा के द्वारा अधिकथित नीलामी की सभी शर्तें एवं प्रतिबंध को भली भांति पढ़ और समझ लिया है और सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी छावनी परिषद अल्मोड़ा की संस्तुति के उपरांत ही नीलामी प्राप्त होगी। मुझे छावनी परिषद अल्मोड़ा कार्यालय द्वारा दिये गए प्रतिबंध और अन्य सभी शर्तों के पालन के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

I/We hereby declare that I/We read out E-Auction Form and fully understood all the terms and conditions laid down by the Cantonment Board Office, Almora and accordingly accepted & signed by me/us. And I have been made clear and understood that the contract would be given to me after sanction of the Competent authority/Chief Executive Officer Almora Cantonment Board. I have no objection to the condition and would abide by them and other condition which the Cantonment Board Almora would like to impose.

दिनांक/Dated

बोलीदाता/फर्म का हस्ताक्षर/Signature of Bidder/Firm

नाम/Name -

मोबाइल नं/ .Mobile No. -